न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
विविध बैंक प्रकरण सं. 12/2024(GCMS 2024/27)

बजाज हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी मुकेश मेघवंशी जिसका पंजिकृत कार्यालय–मुम्बई–पुणे रोड, अकुर्दी, पुणे, महाराष्ट्र–411035 तथा कॉरपोरेट ऑफिस–सेरीब्रम आईटी पार्क बी2 बिल्डिंग, पांचवी मंजिल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्रा–411014 एवं शाखा कार्यालय – तीसरी मंजिल, लैण्ड मार्क टॉवर, जय क्लब, सी–स्कीम, जयपुर–302001 (राज.) में स्थित व कार्यरत है।

बनाम

1. **रमेश कुमार** पता वार्ड नं. 20, 14 एस माझीवाला, गंगानगर, श्रीकरणपुर – 335073 (राज.)
2. **शिल्पा रानी** पता वार्ड नं. 20, 14 एस माझीवाला, गंगानगर, श्रीकरणपुर – 335073 (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.03.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री महादेव प्रसाद मिढ़ा उपस्थित हुए। उन्हें सुना गया।

प्रार्थी बैंक/कम्पनी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उन्होनें एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 27.02.2024 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण रमेश कुमार एवं शिल्पा रानी को ऋण सुविधा के रूप में कुल राशि 6,20,411/–रूपये, (अखरे रूपये छः लाख बीस हजार चार सौ ग्यारह दस मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी रमेश कुमार द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति आहता नं. 28(क्षेत्रफल 1450 वर्गफीट) ग्राम पंचायत 14 एस, माझीवाला, श्रीकरणपुर जिला गंगानगर राजस्थान–335001** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है और निवेदन किया कि [illegible] में माननीय न्यायालय द्वारा धारा 13(2) की तामील पर्याप्त नहीं मानी और दिनांक 23.08.20[illegible] को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया था [illegible]बकि प्रार्थी द्वारा पूर्व[illegible]ये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:16:45 IST
Reason: SelfAttested

Lok
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

धारा 13(2) के संबंध में की गई चस्पांदगी कार्यवाही के दस्तावेज भूलवंश माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने से रह गये थे जबकि सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा पर्याप्त तामील करा दी गई थी। अतः पूर्व में जारी धारा 13(2) नोटिस को प्रस्तुत कर पुनः निवेदन किया है कि उसका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को बन्धक अचल सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि **प्रार्थी बैंक ने पूर्व उक्त अप्रार्थीगण रमेश कुमार एवं शिल्पा रानी के विरूद्ध एक प्रकरण प्रस्तुत किया गया था जो इस न्यायालय में 21/2023 के रूप में दर्ज हुआ था और जिसमें** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना नहीं होने के कारण दिनांक 23.08.2023 को निम्न आदेश पारित किया गया था जिसके अंतिम पैरा में निम्नानुसार अंकित किया गया था:

> **चूंकि अप्रार्थीगण पर उक्त RULE 3(4) के प्रावधानों के तहत धारा 13(2) के नोटिस की तामील न होने के कारण एवं उक्त कानूनी प्रावधानों की अवहेलना होने के कारण प्रार्थी बजाज हाउसिंग फाईनेंस लि. का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 स्वीकार करने योग्य नहीं है। **प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए अप्रार्थीगण [illegible] पुनः धारा 13(2) के नोटिस जारी कर सम्पूर्ण कार्यवाही [illegible] कर पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।** आदेश की प्रति

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:16:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर, बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

-sd-
(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी बैंक ने इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 23.08.2023 की पालना नही की गई। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.08.2023 में उक्त अधिनियम 2002 के तहत सम्पूर्ण कार्यवाही अप्रार्थीगण के विरूद्ध नये सिरे करने हेतु आदेशित किया गया था, परन्तु इस न्यायालय उक्त निर्णय दिनांक 23.08.2023 के पश्चात प्रार्थी बैंक ने पुनः प्रकरण धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 30.05.2022 के साथ ही इस न्यायालय पेश किया है। इस न्यायालय द्वारा पारित किसी भी निर्णय के पश्चात यदि वे वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए, पूर्व निर्णय की प्रति के सहित पेश करना चाहिए। **चूंकि प्रार्थी बैंक के द्वारा पूर्व निर्णय दिनांक 23.08.2023 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना किये बिना यह प्रकरण पेश किया है। इसलिए विचाराधीन प्रकरण में गुणदोष पर विचार नहीं किया जा रहा है। वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में** पूर्व में पारित आदेश को रिव्यु करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए इस आवेदन रिव्यु के रूप में भी विचार नहीं हो सकता।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीड का न्यायिक दृष्टांत 2012 Cr. I.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versues

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:16:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Arvind Kumar & Anr भी अवलोकनीय है जिसके पैरा–13 में निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :

> 13.In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that genrally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provis'ons. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see aslo : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and karnataka State Road Trasnport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]

उक्त परिपेक्ष्य में वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बजाज हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:16:45 IST
Reason: SelfAttested